perticularly with regard to exploration of bentonite and fuller's earth so as to give more incentives to our dealers|exporters to save foreign exchange for the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. The non-swelling Co-bentonite referred to as Fuller's Earth is converted to Na bentonite (synthetic bentonite) where exchangeable calcium oxide is replaced by sodium ion by the addition of the required quantity of an hydrous soda ash (Na2So3).

(b) The expertise for conversion is already available in the country.

(c) The Government of India has announced revised National Mineral Policy, 1993 and MM (R&D) Act, 1994 to encourage private|foreign participation in the development of mining sector. In addition, to boost the export of minerals, benefits are available under 80 HHC for export of processed minerals and ores specified in the XIIth schedule.

मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में हीरे और ऐलेक्जेन्ड्राइट की खोज

4167 **श्री राघवजी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले उन स्थानों के नाम क्या है, जहां पर हीरे और ऐलैक्जेन्ड्राइट पाए जाने की संभावना है ;

(ख) इनके खनन हेतु किन-किन कंपनियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का कोई अध्ययन किया है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उस कम्पनी का नाम क्या है जिसे खनन की अनुमति प्रदान की गई है ;

(घ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की क्या सिफारिशें हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिशों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच कर ली गई है ; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (छ) रायपुर जिले के मर्नापुर और देवभोग क्षेत्रों में हीरे और एलेक्जेंडराइट्स का मिलना ज्ञात है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 27.4.94 को ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे जिनके जवाब में 23 आवेदन प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने इनमें से निम्नलिखित आवेदनों को चुना है और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति मांगी है :—

(1) मैसर्स डि बीयर्स (इंडिया) प्रोस्पेकिटंग लिमिटेड 17300 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के लिए ;

(2) मैसर्स सी०आर०एएक०मप्लोरेशन (इंडिया) लि. 7960 वर्ग कि० मि० क्षेत्र के लिए ; और

(3) मैसर्स एश्टीन माइनिंग इंडिया प्राइवेट लि. 1465 वर्ग कि मी. क्षेत्र के लिए।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के उपरोक्त सुझावों को प्राप्त किया है। उपरोक्त प्रस्तावों के बारे में कुछ आपत्तियां भी प्राप्त हुई है । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष एक याचिका भी दायर की गई है और उसके परिणाम का इंतजार है ।